राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4420 / 2018

अभय कुमार धाकड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता एवं प्रोजेक्ट मैनेजर, वाटरसैड कम डाटा सेंटर, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.11.2018
आदेश की दिनांक : 02.12.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने कथन किया है कि उनका स्थानांतरण बांसवाड़ा से जैसलमेर आदेश दिनांक 04.07.2018 के द्वारा किया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.08.2018 को अपीलार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया था। स्थगन आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थी ने पुनः बांसवाड़ा में दिनांक 20.08.2018 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को माह जुलाई और अगस्त का वेतन प्रदान नहीं किया गया। इस आधार पर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की थी।
2. दौराने बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी को जुलाई और अगस्त एवं उसके बाद का वेतन अदा किया जा चुका है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये कथन के आधार पर यह अपील सारहीन हो जाती है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)